राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1487/2011/जोधपुर.
2. अपील संख्या – 1488/2011/जोधपुर.

मैसर्स सुजानमल शिखरचन्द,
ब्लॉक–ई, तकिया चांदशाह मार्केट, सोजती गेट, जोधपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 2326/2011/जोधपुर.
4. अपील संख्या – 2327/2011/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुजानमल शिखरचन्द,
ब्लॉक–ई, तकिया चांदशाह मार्केट, सोजती गेट, जोधपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.आर.सिंघवी,
अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/06/2017

निर्णय

1 उक्त अपीलें व्यवहारी एवं विभाग द्वारा उपायुक्त अपील्स, जोधपुर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 व 28.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के लिये पारित आदेश दिनांक 03.02.2009 व 01.04.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक स्वीकार किया गया था, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर दिये गये निर्णयों से व्यवहारी एवं विभाग द्वारा क्षुब्ध होकर धारा 83 के तहत पृथक–पृथक अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2 दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

28/06/17

3 प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण का दिनांक 13.06.2008 को किया जाकर वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 की अवधि में विक्रय किये गये **सेलो** ब्रांड के प्लास्टिक एवं घरेलू सामान को 4 प्रतिशत की कर दर से विक्रय किया जाना अविधिक अवधारित कर उस पर 12.5 प्रतिशत कर दर आरोपणीय मानते हुये 8.5 प्रतिशत की कर दर से अंतर कर आरोपित किया गया एवं विवादित कर जमा नहीं होने के कारण ब्याज की भी गणना की गई तथा कम कर दर से विक्रय किया जाने के कृत्य को करापवंचन का अपराध मानते हुये अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण भी किया गया, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्न निर्णय किये गये :–

i) व्यवहारी द्वारा वर्ष 2006–07 में विक्रय किये गये Buckets made of Plastic material को Schdule-IV की प्रविष्टि संख्या 24 में, कन्टेनर डिब्बे को Schdule-IV की प्रविष्टि संख्या 95 में आच्छादित होना मानते हुये उन पर 4 प्रतिशत से संग्रहित कर को विधिसम्मत मानते हुये अंतर कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया है परन्तु सोप केस, पाटला एवं बास्केट इत्यादि को Schdule-IV की प्रविष्टि संख्या 7 में बर्तन की श्रेणी में आच्छादित नहीं मानते हुये रुपये 88,361/– पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण को विधिक माना गया जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गई है, जबकि राजस्व की ओर से अपील निर्णय में 4 प्रतिशत से जिन वस्तुओं पर कर दर की पुष्टि की गई है उसके विरुद्ध एवं अपील निर्णय में शास्ति को अपास्त करने के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई है।

ii) इसी तरह व्यवहारी के वर्ष 2007–08 में विक्रय किये गये माल पर आरोपित अंतर कर के संबंध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित वस्तुओं में टिफिन, कैसरोल, कैम्पर एवं वैक्यूम फ्लास्क को Schdule-IV की प्रविष्टि संख्या 7 के तहत Utensils मानते हुये 4 प्रतिशत से कर योग्य माना गया एवं कंटेनर को पैकिंग मैटिरयल की श्रेणी में मानते हुये 4 प्रतिशत की कर दर मानी गई परन्तु बाल्टी, मग और पाटला को बर्तन न मानकर इसे बाथरुम सम्बन्धी वस्तुयें मानते हुये 12.5 प्रतिशत से कर योग्य माना इसी तरह मग, बेसिन, जग, वाटॅर बॉटल, लंचबॉक्स, टब, ड्रम, टोकरा, पाटला इत्यादि को भी बर्तन में शामिल नहीं माना गया एवं इस पर 12.5 प्रतिशत की कर दर मानी गई। इसी तरह डस्टबीन को भी बर्तन न मानकर 12.5 प्रतिशत से कर योग्य माना गया एवं आरोपित अंतर कर व ब्याज की पुष्टि की गई परन्तु विवादित माल के विक्रय को बहियात में दर्ज होने के आधार पर **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्स बनाम स्टेट आफ**

28/06/17

लगातार.....3

तमिलनाडू (2009 11 VAT Report Page 159) के आलोक में शास्ति को अपास्त किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध व्यवहारी एवं राजस्व की ओर से अपीलें प्रस्तुत की गई है।

4 अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 2006—07 में सोप कैस, पाटला एवं बास्केट को बर्तन में शामिल नहीं करने का निर्णय एवं वर्ष 2007—08 में बाथरुम सैट्स एवं मग, बेसिन, जग, वाटॅर बॉटल, लंचबॉक्स, टब, ड्रम, टोकरा, पाटला एवं डस्टबीन इत्यादि को बर्तन की प्रविष्टि संख्या 7 में नहीं माना जाना अविधिक है क्योंकि इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **सैलो** ब्राण्ड के ही विवादित मामलों में अपील संख्या 868, 869/2010/जोधपुर में दिये गये निर्णय दिनांक 12.12.2012 में यह निर्णय दिया गया है कि वाटॅर जग, कैसरोल, आईस पैक्स, लंच, बॉक्स, कंटेनर, प्लास्टिक डिब्बे, मग, जग अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 7 एवं प्लास्टिक कंटेनर व डिब्बे अनुसूची 4 की प्रविष्टि संख्या 95 एवं क्रम संख्या 69 की प्रविष्टि में भी सम्मिलित योग्य होने से यह 4 प्रतिशत से कर योग्य है। अतः उक्त वस्तुओं पर दिया गया अपीलीय निर्णय माननीय कर बोर्ड के उक्त निर्णय के आलोक में अविधिक होने से अपास्त करते हुये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

5 राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 में जिन वस्तुओं पर अंतर कर अपास्त किया है वह अविधिक है एवं दोनों ही वर्षो में अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को पूर्णतया अपास्त किया गया है वह भी अविधिक होने से इस सीमा तक राजस्व की अपीलें स्वीकार योग्य है।

6 दोनों पक्षो की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत माननीय न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया।

7 उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद **सैलो** ब्रांड की विभिन्न उत्पादों पर कर दर के अभिनिर्धारण से संबंधित है एवं यह उल्लेखनीय है कि इस ब्रांड के उत्पादों पर पूर्व में माननीय कर बोर्ड के निर्णयों में स्पष्ट रुप से कर दर का अभिनिर्धारण किया जा चुका है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी **S.B. Civil Revision no. 131/2012 C.T.O A.E. Jodhpur V/s Cello World Jodhpur** में स्वंय **सैलो** ब्रांड संबंधी माननीय कर बोर्ड के निर्णय की पुष्टि की जा चुकी है अतः उक्त निर्णय के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 में अपीलीय अधिकारी द्वारा सोप कैस, पाटला, डस्टबीन एवं स्टूल पर जो 12.5 प्रतिशत की कर दर की पुष्टि की है वह विधिक होने से इन आईटम पर

20/06/17 लगातार.....4

अभिनिर्धारित कर दर की सीमा तक अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की जाती है क्योंकि माननीय कर बोर्ड की अपील संख्या 868/2010/जोधपुर में इन वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत की कर दर होना अवधारित किया गया है परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2007–08 में रुपये 25,13,418/– के मग, बेसिन, जग, वाटॅर बॉटल, लंचबॉक्स, टब, ड्रम, टोकरा, पाटला इत्यादि में से पाटला को छोड़कर शेष माल पर 12.5 प्रतिशत की कर दर का निर्धारण किया जाने के निर्णय को अपास्त किया जाता है, क्योंकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त निर्णय में उक्त समस्त वस्तुओं को प्रविष्टि संख्या 7 में माना जाना अवधारित किया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की हुई है अतः उक्त निर्णय से यह प्रकरण कवर होने से आरोपित अन्तर कर अपास्त किया जाता है। इसके अलावा अपील निर्णय में डस्टबीन की विक्रय राशि रुपये 1,39,873/– के विक्रय पर 12.5 प्रतिशत से कर दर का अभिनिर्धारण किया जाने में भी कर बोर्ड के निर्णय अनुसार कोई भूल न होने से आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है। उक्तानुसार वर्ष 2006–07 में केवल बास्केट के विक्रय पर 8.5 प्रतिशत से आरोपित कर को अपास्त किया जाता है एवं अन्य विवादित माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार बास्केट की विक्रय पर आरोपित 8.5 प्रतिशत के अन्तर कर एवं ब्याज की राशि में कमी करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इसी तरह वर्ष 2007–08 में रुपये 25,13,418/– में से केवल पाटला के विक्रय की राशि पर 8.5 प्रतिशत से अन्तर कर व ब्याज की गणना की पुष्टि की जाती है एवं शेष राशि पर आरोपित किये गये अंतर कर व ब्याज को अपास्त किया जाता है। अतः केवल पाटला की राशि पर 8.5 प्रतिशत के अन्तर कर व ब्याज की गणना के अलावा अन्य माल पर आरोपित 8.5 प्रतिशत अन्तर कर एवं ब्याज की मांग हटाने के निर्देश दिये जाते है।

राजस्व की ओर से अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों पर विचार करने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय–विक्रय के संव्यवहारों को लेखा पुस्तकों एवं विवरण पत्रों में घोषित किया हुआ था अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्लस के निर्णय एवं माननीय कर बोर्ड के इसी विवादित बिन्दु पर अपील संख्या 868/2010/जोधपुर के निर्णय के आलोक में शास्ति को अपास्त करने के निर्णय की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

फलतः अपीलार्थी की अपीलें उक्तानुसार माननीय कर बोर्ड एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों से कवर होने से अपीलें आशिंक रुप से स्वीकार की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

28/06/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य